संख्या-04/2019/4046 ई-2/तेरह-2018-80/2010

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जनवरी,2019

विषयः-जनपद उन्नाव के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-590/जि0आ0अधि0/बार अनु0/2018-19/उन्नाव, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 03-11-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-160/दस-लाइसेंस-80/एफ0एल0-6,7/विर्क गोल्ड फार्म्स/बार अनु0/ उन्नाव, दिनांक 26 दिसम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स विर्क गोल्ड फार्म्स प्रा0लि0 द्वारा संचालित क्लब वाइल्ड क्रेस्ट रेस्टोरेन्ट एवं बार, सराय जोगा, थाना-सोहरामऊ, तहसील-हसनगंज, जनपद उन्नाव को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा विदेशी मदिरा के प्रदर्शन की व्यवस्था होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2019/4001(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-160/दस-लाइसेंस-80/एफ0एल0-6,7/विर्क गोल्ड फार्म्स/बार अनु0/ उन्नाव, दिनांक 26 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।